Dem आमेर जु. 408

फर्द अहकाम

सीताराम बनाम गोपाल

894/08 873

आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
31/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०क०उप०। उभयपक्ष की कुरेजात पर बहस सुनी गई। कोई आपत्ति नहीं की अतः मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट वाद डिक्री किया जाता है। पत्रावली [फैसला निर्णय पृथक से लिखा गया] फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सह सहायक कलेक्टर आमेर म. जयपुर	VKS अध्यापक लिपिक 31-12-25 MS 31-12-25

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –894/2008 वाद प्रस्तुति दिनांक –16.10.2007

सीताराम पुत्र स्व. भूरा जाति बागडा ब्रह्मण निवासी नांगल लाडी तहसील आमेर जिला जयपुर

..........वादी

बनाम

1. गोपाल
2. गोविन्दा
3. बोदू
4. मंगला
5. हरिनारायण

} पुत्रान स्व भूरा

6.नारायण पुत्र किशना (मृतक दौराने वाद)

6/1. श्रीमती नारायणी धर्मपत्नी स्व. नारायण

6/2. सीताराम दत्तक पुत्र स्व. नारायण

7. संज्या पत्नी नरसी राम

8. गोपाल
9. नानूराम
10. सीताराम

} पुत्रान नरसी राम

11. मु० सोना धर्मपत्नि लक्ष्मण (मृतक दौराने वाद)

11/1. बंशीधर पुत्र स्व. लक्ष्मण

12. रामजीवण पुत्र भैरू

13. रामनिवास पुत्र भैरू (मृतक दौराने वाद)

13/1. रामावतार
13/2. कैलाश
13/3. ओमप्रकाश
13/4.मोहन

} पुत्रान स्व. रामनिवास

13/5. मन्नी देवी पत्नी रामनिवास

13/6. संतोष पुत्री रामनिवास नाबालिग जरिये संरक्षिका माता मन्नी देवी

14. शंकर पुत्र भैरू समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम नांगल लांडी तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर

16. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर

17. प्रभात पुत्र स्व. भूरा दत्तक पुत्र ... ब्राह्मण निवासी प्लोट नम्बर बी–144, आनन्दपुरी, मोती डूंगरी रोड, जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:01 IST
Reason: SelfAttested

दावा उद्घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 92 ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

प्रकरण संख्या – 894 / 2008
बउनवानी – सीताराम बनाम गोपाल वगै0
निर्णय दिनांक :– 31.12.2025

उपस्थिति :–

1. श्री महेश कुमार शर्मा – अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री विजय कुमार शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादी 1 व 2 की ओर से
3. श्री बाबुलाल शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादी 6 लगायत 10

दिनांक 31.12.2025

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 संयुक्त हिन्दू परिवार के मुश्तर्का खानदान के सदस्य है तथा स्व० भूरा के पुत्रान है, तथा प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार स्व० भूरा के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 तथा प्रतिवादी संख्या 17 कुल पुत्रान हुए जिनमें से प्रतिवादी संख्या 17 प्रभात नाना कानाराम के आनन्दपुरी जयपुर में बाल्या अवस्था में ही वादी के पिता भूरा के जीवनकाल मे ही गोद चला गया, जिस कारण प्रतिवादी संख्या 17 स्व० भूरा, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के परिवार का सदस्य नहीं रहा और न ही उनकी सम्पतियों में उसका किसी प्रकार से लेना देना हक व हिस्सा हैं। ग्राम नांगल लाडी तहसील आमेर जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या लगायत 5 की पैतृक एवं संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार की कृषि भूमियां स्थिति जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं

क्रम	साबिक ख० नं०	रकबा बी० बि०	हाल खसरा नंबर	रकबा बी० बि०	वर्तमान में नाम
क	228 275	2 – 10 5 – 11	128 414 415 416	0.63 0.02 2.26 1.12	गोपाल, गोविन्दा,बोदा, हरिनारायण, मंगला पि० भूरा कोम ब्राहमण सा०देह खातेदार
ख	323	9–17	438 450 / 1228 450 / 1229	2.27 0.07 0.10	नारायण पि० किशना हिस्सा 1/4, मु० संज्या बेवा नरसीराम, गोपाल, नानूराम, सीताराम पि नरसीराम हिस्सा 1/4, गोपाल, गोविन्दा, बोदा, हरिनारायण, मंगला पि० भूरा हिस्सा 1/2 कोम ब्राहमण सा. देह खातेदार ।
कुल	1	9–17	3	2.[illegible]	
ग	283	6–16	417	[illegible]	गोपाल पुत्र भूराराम कोम बागड़ा ब्राहमण सा. देह खातेदार
कुल	1	6–16	1	1.72	
घ	229 226 230	1–13 0–19 1–10	130 132 133 135	0.42 0.03 0.21 0.38	मु०सोनी बेवा लिछमण हि. 2/3 व गोविन्दा पुत्र भूरा हि. 1/3 बागड़ा ब्राह.सा. देह खातेदार

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:01 IST
Reason: SelfAttested

कुल	3	4–2	4	1.04	
ङ	276	7–14	411 412/1170 413	0.41 0.11 1.43	गोपाल, गोविन्दा, बोदू पि. भूरा हि 3/4, भौरिया पुत्र भूरा हि. 1/4 कोम बागडा ब्राहमण सा. देह
कुल	1	7–14	3	1.95	नोट– नामा०सं० 219 दिनांक 27–12–04 के द्वारा भौरिया पुत्र भूरा हिस्सा 1/4 के स्थान पर भौरिया पुत्र लाखा उर्फ लच्छा हिस्सा 1/4 कोम बागड़ा ब्राहमण के नाम की दुरूस्ती का नवीन अंकन स्वीकार हुआ। नोट– नामा. सं. 245 दि: 23.8.05 के द्वारा भौरिया पुत्र लाखा उर्फ लच्छा की विरासत से रामजीवण, रामनिवास, शंकरलाल पि० भैरूराम हिस्सा 1/4 कोम बागड़ा ब्राहमण के नाम नवीन अंकन स्वीकार हुआ। बाकी हिस्सा बदस्तूर रहा।

वाद पत्र के मद सं0 2 (क) में वर्णित संपूर्ण आराजीयात व 2 (ख) में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 लगायत के नाम से दर्ज हिस्सा 1/2 की आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की पैतृक खातेदारी की कृषि भूमियां है जो प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त हैं। वाद पत्र के मद संख्या 2 (ग) में वर्णित संपूर्ण आराजी, 2 (घ) में वर्णित प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज हिस्सा 1/3 की आराजीयात एवं 2 (ङ.) में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम से दर्ज हिस्सा 3/4 की आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की संयुक्त परिवार की आय व श्रोत तथा धन से कय की गई आराजीयात है जो प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त हैं। वाद पत्र के मद संख्या 2 (क) में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 228 रकबा 8 बीघा ... बिस्वा, खसरा नम्बर 275 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा के संपूर्ण भाग का व मद संख्या 2 ... में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 323 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा के 1/2 हिस्से का ... रेकार्डेड खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का पिता भूरा था। भूरा का सन् 1965 के लगभग स्वर्गवास हो चुका है। भूरा के स्वर्गवास होते ही तत्काल भूरा की वादग्रस्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 में निहित हो गई तथा नामान्तरकरण कानूनन व न्यायानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम से तस्दीक किया जाना चाहिए था लेकिन भूरा के स्वर्गवास के पश्चात् भूरा की उक्त आराजीयात का

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:01 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण सं० 118 दिनांक 16–4–69 को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 एवं प्रतिवादी संख्या 17 के नाम से ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा द्वारा तस्दीक किया गया। प्रतिवादी संख्या 17 के नाम से तस्दीक किया गया नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य हैं। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 ने राजस्व कारकुनान से साजकर व अपने प्रभाव में लेकर राजस्व भू–अभिलेखो में प्रतिवादी संख्या 17 के साथ–साथ वादी का नाम भी हटाकर केवल अपने ही नाम का खातेदारी में अंकन करवा लिया। वादी ने उक्त आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के तन्हा नाम से दर्ज करने बाबत न तो किसी प्रकार की कोई सहमति ही दी है और न ही किसी प्रकार से हस्तान्तरित ही की है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 द्वारा संपूर्ण कार्यवाही गुपचुप में वादी को जानकारी होने दिये बगैर, बिना किसी नोटिस के करवाई है व उक्त आराजी की तन्हा खातेदारी राजस्व भू–अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करवाई है, जो वादी के अधिकारो के लिए कलेदम, बेअसर व प्रभावशून्य है। कानूनन तथा न्यायानुसार भूरा के स्वर्गवास के दिन से ही वादग्रस्त आराजीयात में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा है। वादी उक्त वादग्रस्त आराजीयात में अपने 1/6 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने व राजस्व रेकार्ड दुरूस्त कराने का अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वादी के बडे भ्राता है व परिवार के कर्ता खानदान रहे है। वाद पत्र के मद संख्या 2 (ग) में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 283 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा तत्कालीन खातेदार गणेश पुत्र रूघनाथ जाति बागड़ा ब्राहमण से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 ने संयुक्त परिवार की आय व श्रोत तथा धन से जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 23–8–72 को कय की है। उक्त आराजी के विकय पत्र को पंजीबद्ध करवाने वादी का सबसे बड़ा भ्राता व कर्ता प्रतिवादी संख्या 1 गोपाल ही गया था जिसने केता में केवल अपना ही नाम दर्ज करवा लिया तथा इसी प्रकार से वाद पत्र के मद संख्या 2 (घ) में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 229 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 226 रकबा 19 बिस्वा, 230 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के 1/3 हिससे की आराजी तत्कालीन खातेदार ग्यारसा पुत्र भूरा जाति बागड़ा ब्राहमण से वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 ने संयुक्त परिवार की आय व श्रोत तथा धन से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26–10–76 को क्रय की है। उक्त आराजी के विक्रय पत्र को पंजीबद्ध करवाने हेतु वादी का बडा भ्राता गोविन्द पुत्र भूरा प्रतिवादी संख्या 2 गया था जिसने केता के स्थान पर केवल अपना ही नाम दर्ज करवा लिया तथा इसी प्रकार से वाद पत्र के मद संख्या 2 (ड.) में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 276 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा आराजी के 3/4 हिस्से की आराजी तत्कालीन खातेदार राधेश्याम पुत्र रामविलास महाजन से वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 ने संयुक्त परिवार की आय व श्रोत तथा धन से जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 23–6–80 को कय की है। उक्त आराजी के विक्रय पत्र को पंजीकृत करवाने वादी के बड़े भ्राता प्रतिवादी संख्या 1

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:01 IST
Reason: SelfAttested

लगायत 3 गोपाल, गोविन्दा तथा बोदू गये, जिन्होंने केताओ में केवल अपना ही नाम दर्ज करवा लिया। उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 163 दिनांक 20–12–73, नामान्तरकरण संख्या 247 दिनांक 18–9–77 एवं नामान्तरकरण संख्या 401 दिनांक 1–11–80 को तस्दीक होकर राजस्व भू–अभिलेखों में उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम का अंकन हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 ने अविभक्त संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य होते हुए संयुक्त हिन्दू परिवार की आय, श्रोत व धन से कय की है। जिसमें उक्त अविभक्त संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का धन खर्च हुआ है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 अकेलों के नाम से विकय पत्र पंजीबद्ध होने से वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 के अधिकारो पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ता हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा किये गये उपरोक्त कृत्य बाबत उपरोक्त विकय विलेख व उनके आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तरकरण बमुकाबले वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 "एबिन इश्यो नल वोईड" हैं। उक्त वादग्रस्त आराजीयात में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक का 1/6–1/6 वैधानिक हिस्सा है तथा वादी 1/6 हिस्से का कानूनन खातेदार काश्तकार है। वादी उक्त विवादित आराजीयात में अपने 1/6 हिस्से के खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराकर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी हैं। वादग्रस्त आराजीयात वर्णित मद नम्बर 2 वाद हाजा पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर काश्त एवं प्राकृतिक उपज का उपयोग एवं उपभोग कर आज दिन तक लाभान्वित होते एवं लगान सरकारी अदा करते चले आये है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का आज से 14–15 वर्ष पूर्व तक संयुक्त परिवार रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 लगभग 14–15 वर्ष पूर्व ही अलग अलग हुए है। अलग होने के पश्चात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 वादग्रस्त आराजीयात को बाहमी रजाबन्दी से मनबट कर अलग अलग काश्त करने लग गये जिसके अनुसार वादी के बाहमी रजाबन्दी से मनबट में आराजी हाल खसरा नम्बर 128 रकबा 0.63 हैक्टर संपूर्ण तथा खसरा नम्बर 438 रकबा 2.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 450/1228 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.44 हैक्टर के 1/4 हिस्से की आराजीयात तन्हा वादी के हिस्से व कब्जे काश्त में है। शेष विवादित आराजीयात प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के हिस्से में है। अलग होने के पश्चात् वादी अपने हिस्से में आई उक्त आराजीयात पर आज दिन तक तन्हा काबिज होकर काश्त कर काश्त एवं प्राकृतिक उपज का उपयोग एवं उपभोग उठाता चला आ रहा है एवं लगान की अदायगी करता चला आ रहा हैं। वादी को अब तक तो यही पता था कि वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के नाम से बहिस्सा बराबर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादी की

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:01 IST
Reason: SelfAttested

माता मु० ग्यारसी का हाल ही में मार्च 2007 में स्वर्गवास हुआ हैं। वादी की माता के स्वर्गवास होने तक प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 ने विवादित आराजीयात में निहित वादी के अधिकारों एवं कब्जे काश्त के विषय में कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया हैं। लेकिन वादी की माता के स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गई है तथा वो वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज अपने नाम का नाजायज फायदा उठाने के उद्देश्य से वादग्रस्त आराजीयात को विकय व हस्तान्तरण करने हेतु आमादा है जिस कम में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी के कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात को विक्रय हेतु दिखाने के लिए कुछ अनजान व्यक्तियों को लेकर दिनांक 1–8–2007 को आये जो कि विक्रय हेतु बात कर रहे थे। वादी ने उनको विक्रय हेतु मना करने व वास्तविक स्थिति से अवगत कराने पर वो चले गये। जिनके जाने के पश्चात वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 से इस विषय में बात की तो प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 ने तो कोई जवाब नहीं दिया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी का वादग्रस्त आराजी में हिस्सा होने से ही इन्कार कर दिया तथा वादग्रस्त आराजीयात को शीघ्र से शीघ्र विक्रय करने व वादी को बेदखल करने की धमकी दी जिस पर वादी ने वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड व विकय पत्रो आदि की नकले निकलवाई तो वादी को प्रतिवादीगण द्वारा कारित किये गये उक्त अवैधानिक कृत्यों का ज्ञान हुआ है। वादी को उक्त कारणों से प्रस्तुत वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने के पश्चात वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को प्रमुख व्यक्तियों को साथ लेकर वादी के नाम उनके हिस्से की खातेदारी दर्ज करवाने व वादग्रस्त आराजीयात का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कब्जे के अनुसार करवाकर खातेदारी व लगान अलग अलग करवाने हेतु दिनांक 19–9–2007 को कहा तो प्रतिवादीगण ने पूर्व की बात ही दौहराई व वादी के नाम से राजस्व रेकार्ड दुरूस्त कराकर खातेदारी दर्ज करवाने व विभाजन से मना कर दिया तथा शीघ्र से शीघ्र विवादित आराजी को विक्रय करने व वादी को बेदखल करने की धमकी दी, जिस कारण वादी को प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 [illegible] की पैतृक खातेदारी की एवं संयुक्त अविभक्त हिन्दू परिवार की आय, श्रोत व धन से क्रय [illegible] गई आराजीयात है, जिसमें वादी का [illegible]6 हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 विवादित आराजीयात को विकय व हस्तान्तरित करने हेतु व वादी को बेदखल करने हेतु आमादा व तत्पर है, जिसमें यदि वो सफल हो गये तो वादी को असहाय क्षति होगी। वादी विवादित आराजीयात में निहित अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने, बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी हैं।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:01 IST
Reason: SelfAttested

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलवी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 11, 12, 13 व 14 की बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाव दावा में वादी पत्र को अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया।

प्रतिवादीगण 6 लगायत 10 की ओर से जवाव दावा पेश कर अंकित किया कि वाद पत्र के पैरा नम्बर 1 वादी के पारिवारिक सजरा से सम्वन्धित् होने के कारण वादी स्वय साबित करे। वाद पत्र के पैरा नम्बर 2 रिकार्ड से सम्वन्धित् होने के कारण वादी स्वयं साबित करे। मिन प्रतिवादीगण केवल मात्र हाल खसरा नम्बर 438 रकबा 2.27 हैक्टेयर खसरा नम्बर 450 / 1228 रकवा 0.07 हैक्टेयर, 450 / 1229 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता तीन कुल रकवा 2.44 हैक्टेयर मे 1 / –4 हिस्से का प्रतिवादीगण से मिन प्रतिवादी संख्या 6 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज एवं अंकित है तथा 1 / 4 हिस्सा मिन प्रतिवादीगण 7 लगायत 10 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज एवं अंकित है, इस प्रकार संयुक्त रूप से मिन प्रतिवादीगण अपने 1 / 2 हिस्से पर काविज होकर काश्त करते आ रहे है। वाद पत्र के पैरा नम्बर 3 वादी से सम्बन्धित होने के कारण जवाब के मोहताज नहीं है, उपरोक्त पैरा नम्बर 2 (ख) मे वर्णित आराजियात मे मिन प्रतिवादीगण को 1 / 2 हिस्से कि खातेदारी, राजस्व रिकार्ड मे दर्ज व अंकित है. जिसके बाबत् कोई विवाद नहीं है मिन प्रतिवादीगण को अपने हिस्से को उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। वाद पत्र के पैरा नम्बर 4 मिन प्रतिवादीगण से सम्बन्धित् नहीं है, वादी स्वयं साबित करे। वाद पत्र के पैरा नम्बर 5 मिन प्रतिवादीगण से सम्बन्धित नही होने के कारण जवाब का मोहताज नही है। वाद पत्र के पैरा नम्बर 6 में वर्णित तथ्य मिन प्रतिवादीगण से सम्बन्धित् नही होने के कारण जवाब का मोहताज नही है। वाद पत्र के पैरा नम्बर 7 में वर्णित खसरा नम्बर 438 रकबा 2.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 450 / 1228 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 450 / 1228 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 450 / 1229 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता तीन कुल रकबा 2.44 हैक्टेयर है, जिसमे मिन प्रति[illegible] / 2 हिस्सा है, जिसमे मौके पर मिन प्रतिवांदीगण पूर्वजो के समय [illegible] ही [illegible]रा नम्बर 438 रकबा 2.27 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 450 / [illegible] 0.10 [illegible]र के पूर्वी हिस्से की ओर मिन प्रतिवादीगण काबिज होकर का[illegible] करते आ रहे है शेष तथ्य वादी स्वयं साबित करे। वाद पत्र का पैरा नम्बर 8 मिन प्रतिवादीगण से सम्बन्धित् नही होने के कारण जवाब का मोहताज नही है। वाद पत्र का पैरा नम्बर 9 वादी स्वयं साबित करे। वाद पत्र के पैरा नम्बर 10 वादी स्वयं साबित करे। वाद पत्र का पैरा नम्बर 11 मिन प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 438 रकबा 2.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 450 / 1228 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 450 / 1229 रकबा 0.10 हैक्टेयर, कुल किता तीन कुल रकबा 2.44

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:01 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टेयर में से 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है जिसका पूर्ण रूप से उपयोग उपभोग करने का मिन प्रतिवादीगण को अधिकार प्राप्त है तथा पूर्वजो के समय से जिस प्रकार उपरोक्त आराजियात के हिस्से पर मिन प्रतिवादीगण काबिज है, उसी अनुसार उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर का विभाजन किया जाता है तो मिन प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। वाद पत्र का पैरा नम्बर 12 वादी स्वयं साबित करे। वाद पत्र का पैरा नम्बर 13 रिकार्ड से सम्बन्धित् होने के कारण स्वीकार है, लेकिन जब मिन प्रतिवादीगण को वाद मे केवल प्रोफार्मा प्रतिवादी बनाया गया है और किसी प्रकार की दादरसी नही चाही गयी है तो वादी को मिन प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का कोई अधिकर प्राप्त नही है। वाद पत्र का पैरा नम्बर 14 कानूनी है। वाद पत्र का पैरा नम्बर 15 कानूनी है।

प्रतिवादीगण का जवाब पेश होने पर दावे में निम्न विवाद्यक तनकी कायम की गई :–

1. आया वादी वादपत्र के मद संख्या 2क, 2ख, 2ग, 2घ, 25. में वर्णित खसरा नंबरान वाके ग्राम नांगल लाडी तहसील आमेर जिला जयपुर में वर्णित हिस्सेनुसार स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है।

   ....वादी

2. आया वादी विवादित आराजीयात का बाई मीटस एंड बाउंडस विभाजन किया जाकर वादी के 1/6 हिस्से की खातेदारी व लगान अलग से निर्धारित करवाने का अधिकारी है।

   ....वादी

3. आया वादी प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाने का अधिकारी है।

   ....वादी

4. आया वादपत्र के मद सं. 2क, 2ख में वर्णित आराजी वादी एवं मिन उत्तरदाता एवं प्रतिवादी सं. 3 लगायत 5 के परिवार की संपत्ति है जो कि उनके पिता की विरासत में प्राप्त की है शेष भूमि जिसके नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है वह उसने स्वयं की कमाई एवं आय से कय कर बनाई है तथा खंड ग.घ ड में वादी कां कोई लेना देना नहीं है ना ही इन खंडों में वर्णित भूमि परिवार की संपत्ति है चलित सभी केता की स्वःअर्जित संपति है।

   ....प्रतिवादी सं. 1 व 2

5. आया वादी का वाद वाद कारण के अभाव में खारिज योग्य है।

   ....प्रतिवादी सं. 1 व 2

6. आया खसरा नंबर 438, 450/1228, 450/1229 कुल रकबा 2.44 है0 में से 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में मि[illegible]वं अकित है मौके पर काबिज काश्त अनुसार उपरोक्त खसरा नंब[illegible]जन किया जाता है तो मिन प्रतिवादीगण को कोई आप[illegible]धाज्ञा से किसी रिकाडेंड खातेदार काश्तकार को पाबं[illegible] है।

   ..प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

तदुपरान्त साक्ष्य वादी [illegible] वादी पक्ष द्वारा (पी.डब्ल्यू.–1) सीताराम जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम नांगल लाडी, तहसील आमेर, जिला जयपर, प्रभात पुत्र स्व. श्री रूडमल (पी.डब्ल्यू–2) जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम नांगल लाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर ने लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया।

अभिलेख साक्ष्य में वादीगण द्वारा जमाबन्दी संवत 2061–64 प्रदर्श–1, मिसल बन्दोबस्त संवत 2010 प्रदर्श–2, जमाबन्दी संवत 2024 प्रदर्श–3, जमाबन्दी संवत 2036–39 प्रदर्श–4, नामान्तकरण संख्या 118 दिनांक 16 / 4 / 69 प्रदर्श–5, मिलान क्षेत्रफल संवत 2046 प्रदर्श–6, जमाबन्दी संवत 2024 प्रदर्श–7, नामान्तकरण संख्या 24 प्रदर्श–8 नामान्तकरण संख्या 2036–39 प्रदर्श–9, नामान्तकरण संख्या 401 प्रदर्श–10 जमाबन्दी संवत 2036 से 2039 प्रदर्श–11 नामान्तकरण संख्या 163 प्रदर्श–12 विक्रय पत्र प्रदर्श–13, विक्रय पत्र दिनांक 30 / 10 / 76 प्रदर्श–14, विक्रय पत्र दिनांक 10 / 7 / 80 प्रदर्श–15 दस्तावेजात् प्रस्तुत किये गये।

साक्ष्य प्रतिवादी हेतु प्रतिवादी पक्ष द्वारा DW1 गोविंदराम पुत्र भूरा जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी नांगल लाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर। DW2 रामगोपाल पुत्र श्री जयनारायण जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी 45 मेहतो की ढाणी रामचंद्रपुरा जाटान विचपडी तहसील आमेर, जिला जयपुर ने लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया।

प्रस्तुत दस्तावेजात, बहस के मध्यनजर तनकीयात निम्नानुसार निर्णित की जाती है

1. आया वादी वादपत्र के मद संख्या 2क, 2ख, 2ग, 2घ, 2ड. में वर्णित खसरा नंबरान वाके ग्राम नांगल लाडी तहसील आमेर जिला जयपुर में वर्णित हिस्सेनुसार स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है।

........वादी

तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने उक्त तनकी के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2061–64 प्रदर्श–1, मिसल बन्दोबस्त संवत 2010 प्रदर्श–2, जमाबन्दी संवत 2024 प्रदर्श–3, जमाबन्दी संवत 2036–39 प्रदर्श–4, नामान्तकरण संख्या 118 दिनांक 16 / 4 / 69 प्रदर्श–5, मिलान क्षेत्रफल संवत 2046 प्रदर्श–6, जमाबन्दी संवत 2024 प्रदर्श–7, नामान्तकरण संख्या 24 प्रदर्श–8 नामान्तकरण संख्या 2036–39 प्रदर्श–9, नामान्तकरण संख्या 401 प्रदर्श–10 जमाबन्दी संवत 2036 से 2039 प्रदर्श–11 नामान्तकरण संख्या 163 प्रदर्श–12 विक्रय पत्र प्रदर्श–13, विक्रय पत्र दिनांक 30 / 10 / 76 प्रदर्श–14, विक्रय पत्र दिनांक 10 / 7 / 80 प्रदर्श–15 प्रदर्शित करवाये है। प्रदर्श–2 खतौनी भू–प्रबन्ध सैटलमेण्ट, प्रदर्श–3 जमाबंदी, प्रदर्श–5 नामान्तकरण 118 दिनांक 16.04.1969 से वादी ने साबित किया है वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क) में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 228 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 275 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा के संपूर्ण भाग का व मद संख्या 2 (ख) में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 23 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा पैतृक आराजी है। तथा प्रदर्श–5 से वादी ने यह भी साबित किया है उक्त आराजीयात में वादी का नाम नामान्तकरण खोला गया परन्तु बाद में बिना किसी सक्षम आदेश के नाम हटाया गया है जोकि विधिक नहीं है। साथ ही गवाह प्रतिवादी रामगोपाल ने अपने बयानो में कहां है कि सीताराम जी जमीन पर खेती कर रहा है यह सही है। तथा वादी (PW1) सीताराम ने अपने लिखित बयानो में जाहिर किया उक्त आराजी पैतृक है तथा मै खेती करता हुं तथा प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में भी अंकित किया है उक्त आराजी पैतृक है, अतः प्रस्तुत दस्तावेजो, साक्ष्यो के माध्यम से वादी ने वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क) में 2 (ख) में वर्णित आराजी को पैतृक साबित किया है

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:01 IST
Reason: SelfAttested

परन्तु वादपत्र के मद संख्या 2ग, 2घ, 2ङ. जोकि पैतृक भूमि नहीं है प्रदर्श–11 लगायत 15 से साबित है उक्त आराजी जरिये विक्रय पत्र द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा क्रय की गई है। जोकि प्रदर्श 13, 14 व 15 से साबित है। वादी द्वारा उक्त विक्रय पत्रो को किसी सक्षम न्यायालय में चूनोती भी नही दी है। यहां विक्रय पत्रो को सही मानने की अवधारणा है। यहां "सही मानने की अवधारणा" का अर्थ है कि जब तक कोई दस्तावेज गलत साबित नहीं हो जाता, तब तक उसे सही माना जाएगा। यह सिद्धांत न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वादी यह साबित करने में असफल रहे कि मद संख्या 2ग, 2घ, 2ङ. में दर्ज आराजी पैतृक हो। इसके अतिरिक्त गवाह (DW1) गोविन्दराम ने अपने बयानो में जाहिर किया है कि सारी जमीन पुश्तैनी नहीं है कुछ जमीन हमारी खरीदी हुई है जिस समय मैने जमीन कय की उस समय पिताजी की मृत्यु हो गई थी। गवाह (DW2) रामगोपाल ने अपने जिरह में अभिवचन किया है कि गोपाल जी ने पौने सात बीघा जमीन खरीदी लेकिन इस बात को 35 से 40 वर्ष हो गये। पौने 6 बीघा जमीन 3 भाईयों ने खरीदी है उक्त आराजी स्वयं के धन से खरीदी गई है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी को स्वयं का वाद सिद्ध करना आवश्यक होता है। उपरोक्त विवेचन से वादी ने तनकी 01 को आंशिक साबित किया गया।

2. आया वादी विवादित आराजीयात का बाई मीट्स एंड बाउंड्स विभाजन किया जाकर वादी के 1/6 हिस्से की खातेदारी व लगान अलग से निर्धारित करवाने का अधिकारी है।

......वादी

3. आया वादी प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाने का अधिकारी है।

........वादी

सुविधा की दृष्टि से तनकी संख्या 2 एवं 3 एकसाथ निर्णित की जा रही है। तनकी संख्या 2 एवं 3 को साबित करने का भार वादी पर है। तनकी संख्या 1 वादी ने आंशित साबित किया है। अर्थात वादी केवल वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क) में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 228 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 275 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा के संपूर्ण भाग का व मद संख्या 2 (ख) में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 323 रकबा 9 बीघा 17 का बंटवारा करवाने का अधिकारी है, क्योकि तनकी संख्या 1 आंशिक वादी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। चुकी [illegible] पैतृक है तथा सहखातेदार के मध्य बंटवारा नहीं हुआ है। जिसका अलग से [illegible] लगान कायम करवाने हेतु वादी अधिकारी है उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी संख्या 2 [illegible] वादी के पक्ष में निर्णित की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

4. आया वादपत्र के मद सं. 2ग, [illegible] ही वादी एवं मिन उत्तरदाता एवं प्रतिवादी सं. 3 लगायत 5 के परिवार की संपत्ति है जो कि उनके पिता की विरासत में प्राप्त की है शेष भूमि जिसके नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है वह उसने स्वयं की कमाई एवं आय से कय कर बनाई है तथा खंड ग,घ ङ में वादी का कोई लेना देना नहीं है ना ही इन खंडों में वर्णित भूमि परिवार की संपत्ति है बल्कि उसी केता की स्वःअर्जित संपति है।

........प्रतिवादी सं. 1 व 2

5. आया वादी का वाद वाद कारण के अभाव में खारिज योग्य है।

..........प्रतिवादी सं. 1 व 2

6. आया खसरा नंबर 438, 450/1228, 450/1229 कुल रकबा 2.44 है0 में से 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में मिन प्रतिवादीगण के नाम दर्ज एवं अकित है मौके पर काबिज काश्त अनुसार उपरोक्त खसरा नंबरान का विभाजन किया जाता है तो मिन प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। वादी स्थाई निषेधाज्ञा से किसी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को पाबंद करवाने का अधिकारी नही है।

.......प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10

सुविधा की दृष्टि से तनकी संख्या 4 लगायत 6 एकसाथ निर्णित की जा रही है। तनकी संख्या 4 लगायत 6 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 6 लगायत 10 पर है। उक्त तनकीयात के समर्थन में प्रतिवादी पक्ष ने साक्ष्य प्रतिवादी हेतु DW1 गोविंदराम पुत्र भूरा जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी नांगल लाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर। DW2 रामगोपाल पुत्र श्री जयनारायण जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी 45 मेहतो की ढाणी रामचंद्रपुरा जाटान बिचपडी तहसील आमेर, जिला जयपुर ने लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया। प्रदर्श–12 विक्रय पत्र प्रदर्श–13, विक्रय पत्र दिनांक 30/10/76 प्रदर्श–14, विक्रय पत्र दिनांक 10/7/80 प्रदर्श–15 सभी रजिस्टर्ड विकय पत्र है तथा विक्रय विलेख एक कानूनी दस्तावेज है जो विक्रेता से खरीदार को संपत्ति के शीर्षक, अधिकार और स्वामित्व के हस्तांतरण को दर्शाता है। उक्त सभी विक्रय पत्रो को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दिया गया है। जोकि सही मानने की अवधारणा है। यहां "सही मानने की अवधारणा" का अर्थ है कि जब तक कोई दस्तावेज गलत साबित नहीं हो जाता, तब तक उसे सही माना जाएगा। यह सिद्धांत न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रतिवादीगण का अभिवचन है कि वाद पत्र खंड ग.घ ड में अंकित आराजी पर वादी का कोई लेना देना नहीं है ना ही इन खंडों में वर्णित भूमि परिवार की संपत्ति है, सभी क्रेता की स्वःअर्जित संपति है। उक्त कथनो के खण्डन में वादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। तथा मौखिक गवाह DW1 गोविंदराम पुत्र भूरा ने अपनी जिरह में बयान दिये है कि सारी जमीन पुश्तैनी नहीं है कुछ जमीन हमारी खरीदी हुई। मैने तो सवा बीघा जमीन खदी थी और गोपाल ने अलग होकर जमीन खरीदी थी। पिता जी की मृत्यु के 5 साल बाद मैंने जमीन क्रय की है। मैं उस समय ठाकरों की कोठी बाता था उसकी कमाई से एवं कर्जा करके मैने यह जमीन खरीदी। मेरे छोटे भाई जिन्होनें जमीन खरीदी वो पेट भरने के लिए जयपुर आआ गये थे यहां काम करके जो आय हुई उससे जमीन खरीदी। गवाह DW2 रामगोपाल पुत्र श्री जयनारायण ने अपनी जिरह में बयान दिया है कि गोपाल जी ने पैने सात बीघा जमीन खरीदी लेकिन इस बात को 35 से 40 साल हो गये। पैने 6 बीघा जमीन 3 भाईयों ने खरीदी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर

तनकी संख्या 5 जोकि वादकारण के संबंध में है उक्त संबंध में उल्लेख है कि प्रतिवादीगण ने भी स्वीकार किया है आराजी मद संख्या 2 (क) एवं (ख) पैतृक है तथा वादी का नाम पैतृक संपति में अंकित नहीं है वाद पत्र को समेकित रूप से पढ़ने मात्र से स्पष्ट है कि वादीगण का नाम उक्त पैतृक संपत्ति में अंकित नहीं है तथा

आराजी मद संख्या 2 क एवं ख संबंधी तथ्य सारभूत है। फलस्वरूप गवाहो के बयानो दस्तावेजो से प्रतिवादीगण ने तनकी संख्या 4 लगायत 6 बखूबी साबित किया है।

तनकी संख्या 1 को वादी ने आंशिक तथा तनकी संख्या 2 एवं 3 वादी ने पूर्णतः साबित किया है। तनकी संख्या 4 लगायत 6 प्रतिवादीगण ने साबित किया है। अतः वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क) में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 228 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 275 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा के 1/6 भाग का व मद संख्या 2 (ख) में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 323 रकबा 9 बीघा 17 का 1/12 भाग का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया किया गया। तथा तहसीलदार जालसू को आदेशित किया गया वे घोषणा की पालना के उपरान्त जमाबंदी हिस्सेनुसार बाई मैट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रेषित करें । प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025/5371 दिनांक 09.12.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। प्रस्तुत तर्को के आधार पर वाद तदनुसार तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. सीताराम पुत्र भूरा हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 128/1 रकबा 0.5095 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. महेन्द्र सिंह पुत्र चौथमल हि. 441/610 जाति जाट, सोनी देवी पत्नी चौथमल हि. 169/610 जाति जाट, सा. देह खातेदार निवासी 27 बी उमा पथ मेन रोड रामनगर, सोडाला जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 439/1 रकबा 1.05 है., 450/1228 रकबा 0.07 है., 450/1229 रकबा 0.10 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.22 है.भूमि रहेगी।
3. मंगला पुत्र भूरा हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राहम्ण के हिस्से खसरा नंबर 438/2 रकबा 0. 5095 है. भूमि रहेगी।
4. गोंविदा पुत्र भूरा हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 414/1 रकबा 0.0150 है., 415/1 रकबा 0.0018 है., 416/3 रकबा 0.1631 है., 438/4 रकबा 0.3263 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.5062 है. भूमि रहेगी।
5. गोपाल पुत्र भूरा हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 415/2 रकबा 0.2582 है., 416/4 रकबा 0.0060 है., 416/8 रकबा 0.1520 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.4162 है. भूमि रहेगी।
6. बांदा पुत्र भूरा हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 416/2 रकबा 0.1799 है., 438/3 रकबा 0.3262 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.5061 है. भूमि रहेगी।
7. हरिनारायण पुत्र भूरा हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 128/2 रकबा 0.1205 है., 416/1 रकबा 0.0830 है., 416/6 रकबा 0.3060 है. कुल किता 3 कुल रकबा 5.095 है. भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जालसू, जयपुर

8. बोदा पुत्र भूरा हि. 39/90, गोपाल पुत्र भूरा हि. 12/90, हरिनारायण पुत्र भूरा हि. 39/90 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 416/7 रकवा 0. 0900 है. भूमि रहेगी।
9. बांदा पुत्र भूरा हि. 1/4, हरिनारायण पुत्र भूरा हि. 1/4, गोपाल पुत्र भूरा हि. 1/4 गोंविदा पुत्र भूरा हि. 1/4 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंवर 416/5 रकबा 0.04 है., 438/5 रकबा 0.0580 है., 414/2 रकबा 0.0050 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.1030 है. भूमि रहेगी।
10. ताराचंद पुत्र जयराम हि. 1/4, नाथूलाल पुत्र जयराम हि. 1/4, गोहरूराम पुत्र जयराम हि. 1/4, हीरालाल पुत्र जयराम हि. 1/4 जातियान बागडा ब्राहम्ण सा. मीनावाला सिरसी रोड, तह. जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 416/9 रकबा 0.09 है. भूमि रहेगी।
11. गोपाल पुत्र भूरा हि. 1/3 गोंविदा पुत्र भूरा हि. 1/3 बोदा पुत्र भूरा हि. छीतरमल 1/3 जाति बागडा ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 416/10 रकबा 0.01 है. भूमि रहेगी

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 894/2008
यउनवानी – सीताराम बनाम गोपाल वगै0
निर्णय दिनांक – 31.12.2025

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या –894/2008

वाद प्रस्तुति दिनांक –16.10.2007

सीताराम पुत्र स्व. भूरा उम्र 51 वर्ष जाति बागडा ब्रह्मण निवासी नांगल लाडी तहसील आमेर जिला जयपुर।

.........वादी

बनाम

1. गोपाल उम्र 70 वर्ष
2. गोविन्दा उम्र 68 वर्ष
3. बोदू उम्र 63 वर्ष
4. मंगला उम्र 60 वर्ष
5. हरिनारायण 53 वर्ष

} पुत्रान स्व भूरा

नारायण पुत्र किशना (मृतक दौराने वाद)
6/1. श्रीमती नारायणी धर्मपत्नी स्व. नारायण
6/2. सीताराम दत्तक पुत्र स्व. नारायण
7. संज्या पत्नी नरसी राम
8. गोपाल
9. नानूराम
10. सीताराम

} पुत्रान नरसी राम

11. मु0 सोना धर्मपत्नि लक्ष्मण (मृतक दौराने वाद)
11/1. बंशीधर पुत्र स्व. लक्ष्मण
12. रामजीवण पुत्र भैरू
13. रामनिवास पुत्र भैरू (मृतक दौराने वाद)
13/1. रामावतार
13/2. कैलाश
13/3. ओमप्रकाश
13/4. मोहन

} पुत्रान स्व. रामनिवास

13/5. मन्नी देवी पत्नी रामनिवास
13/6. संतोष पुत्री रामनिवास नाबालिग जरिये संरक्षिका माता मन्नी देवी
14. शंकर पुत्र भैरू समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम नांगल लांडी तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
16. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
17. प्रभात पुत्र स्व. भूरा दत्तक पुत्र ... जाति बागडा ब्राह्मण निवासी प्लोट नम्बर बी–144, आनन्दपुरी, मोती डूंगरी रोड जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 92 ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

तनकी संख्या 1 को वादी ने आंशिक तथा तनकी संख्या 2 एवं 3 वादी ने पूर्णतः साबित किया है। तनकी संख्या 4 लगायत 6 प्रतिवादीगण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 894/2008
बउनवानी – सीताराम बनाम गोपाल वगै0
निर्णय दिनांक :– 31.12.2025

स्थापित किया है। अतः वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क) में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 228 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 275 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा के 1/6 भाग का व पद संख्या 2 (ख) में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 323 रकबा 9 बीघा 17 का 1/12 भाग का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार जालसू को आदेशित किया गया कि वे घोषणा की पालना के उपरान्त जमाबंदी हिस्सेनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रेषित किये गये।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025/5371 दिनांक 09.12.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। प्रस्तुत तर्कों के आधार पर वाद तदनुसार तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. सीताराम पुत्र भूरा हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 128/1 रकबा 0.5095 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. महेन्द्र सिंह पुत्र चौथमल हि. 441/610 जाति जाट, सोनी देवी पत्नी चौथमल हि. 169/610 जाति जाट, सा. देह खातेदार निवासी 27 बी उमा पथ मेन रोड रामनगर, सोडाला जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 439/1 रकबा 1.05 है., 450/1228 रकबा 0.07 है., 450/1229 रकबा 0.10 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.22 है.भूमि रहेगी।
3. मंगला पुत्र भूरा हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राहम्ण के हिस्से खसरा नंबर 438/2 रकबा 0.5095 है. भूमि रहेगी।
4. गोंविदा पुत्र भूरा हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 414/1 रकबा 0.0150 है., 415/1 रकबा 0.0018 है., 416/3 रकबा 0.1631 है., 438/4 रकबा 0.3263 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.5062 है. भूमि रहेगी।
5. गोपाल पुत्र भूरा हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 415/2 रकबा 0.2582 है., 416/4 रकबा 0.0060 है., 416/8 रकबा 0.1520 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.4162 है. भूमि रहेगी।
6. बांदा पुत्र भूरा हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 416/2 रकबा 0.1799 है., 438/3 रकबा 0.3262 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.5061 है. भूमि रहेगी।
7. हरिनारायण पुत्र भूरा हि. संपूर्ण जाति बागडा [illegible] सा. [illegible] खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 128/2 रकबा 0.1205 [illegible] रकबा 0.0[illegible] है., 416/6 रकबा 0.3060 है. कुल किता 3 कुल रकबा 5.095 है. भूमि रहेगी।
8. बोदा पुत्र भूरा हि. 39/90, गोपाल पुत्र भूरा हि. [illegible]/90, हरिनारायण पुत्र भूरा हि. 39/90 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 416/7 रकबा 0.0900 है. भूमि रहेगी।
9. बांदा पुत्र भूरा हि. 1/4, हरिनारायण पुत्र भूरा हि. 1/4, गोपाल पुत्र भूरा हि. 1/4 गोंविदा पुत्र भूरा हि. 1/4 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर

सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या :- 894/2008
बउनवानी :- सीताराम बनाम गोपाल वगै०
निर्णय दिनांक :- 31.12.2025

416/5 रकबा 0.04 है., 438/5 रकबा 0.0580 है., 414/2 रकबा 0.0050 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.1030 है. भूमि रहेगी।

10. ताराचंद पुत्र जयराम हि. 1/4, नाथूलाल पुत्र जयराम हि. 1/4, मोहनराम पुत्र जयराम हि. 1/4, हीरालाल पुत्र जयराम हि. 1/4 जातिशान बागडा ब्राहम्ण सा. मीनावाला सिरसी रोड, तह. जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 416/9 रकबा 0.09 है. भूमि रहेगी।

11. गोपाल पुत्र भूरा हि. 1/3 गोविंदा पुत्र भूरा हि. 1/3 बोदा पुत्र भूरा हि. छीतरमल 1/3 जाति बागडा ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 416/10 रकबा 0.01 है. भूमि रहेगी

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 31.12.2025 को जारी किया।

दस्तखत——

ओहदा——

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर सबत् इजराय हुक्मानामा मुतफरित मीजान	2 रूपये 2 रूपये 4 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर सबत् इजराय हुक्मानामा मुतफरित मीजान	2 रूपये 2 रूपये 4 रूपये	—

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:01 IST
Reason: SelfAttested